

DILRMP

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :- 13/2019

दायर तारीख 28.01.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थी

बनाम

01. कंवरलाल पिता छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
02. रामप्रसाद पिता छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
03. रमेशचन्द्र पिता छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
04. ऐजन पुत्री छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
05. अनोप पुत्री छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
06. बाली पत्नि छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
07. शंकर पिता देबी जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
08. कस्तुरी पुत्री देबी जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
09. भूली पुत्री देबी जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।

..... विपक्षीगण

उपस्थित :- पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक 17.06.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियाँ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ के आराजी नम्बर 187/1 रकबा 7-03 बीघा, आराजी नम्बर 187/2 रकबा 7-05 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 187/1 रकबा 7-03 बीघा, आराजी नम्बर 187/2 रकबा 7-05 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लट्ठा में आराजी नम्बर अंकित नही होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्ठा में तरमीम करना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षीगण शंकर, रमेश, रामप्रसाद, उपस्थित जिन्होंने जवाब फर्द अहकाम पर अंकित किया कि मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में हमे कोई आपति नहीं हैं एवं न ही भविष्य में कोई आपति की जावेगी तरमीम कराना फरमावें। चूंकि मामला मात्र नक्शे में तरमीम सम्बन्धि हैं। तरमीम को दुरुस्त करने का अधिकार राजस्व विभाग का ही हैं।


प्रकरण का DILRMP के तहत निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु विपक्षीगणों ने उक्तानुसार सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ के आराजी नम्बर 187/1 रकबा 7-03 बीघा, आराजी नम्बर 187/2 रकबा 7-05 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। किन्तु नक्शे में तरमीम नही होने से जहां खातेदार काबिज हैं नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा